न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 439 सन 2018
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र लालचंद जाति जाट साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र धनाराम जाति जाट साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
2. जयलाल 3 भागाराम 4 मागेराम 5 केहरसिह 6 गुडडी पि0 लालचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर जिला हनुमानढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मनीराम सराफ अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास तहसील नोहर के खसरा न0 13/4 की 1.9090 , 167/2.3140 ,178/2 की 0.9480 ,178/8 की 3.1610 ,207/4 की 2.5790 ,301/256 की 0.5690 कुल 11.4800हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है ने अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ने निवेदन किया की उनके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक

Copy - Not Official

हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग पूर्व में ही किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी के खसरा न0 167 / 2.3140 ,178 / 2 की 0.9480 ,178 / 9 की 3.1610 ,207 / 4 की 2.5790 ,301 / 256 की 0.5690 , कुल 9.571हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लालचन्द के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन करने हेतु 5000/- अखरे रूप्ये पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official